रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240276 CG-DL-E-15112022-240276

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5042] No. 5042] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5261(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन पश्चिम बंगाल राज्य में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के हल्दीया-पानागड एल पी जी पाइपलाइन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए श्री- जगदिश सरकार, एस.अर.ओ-I, सह एस.डी.एल एंव एल.आर.ओ (सेवानिवृत्त) को अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-12030/2/ 2022-ओआर-I/ई-44834]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

7526 GI/2022 (1)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5261(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri Jagadish Sarkar, Ex.SR.O - I and S.D.L & L.R.O to perform the function of Competent Authority for Haldia – Panagarh LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited under the said Act within the territory of State of West Bengal.

This notification will be effective from the date of Issue.

[F. No. R-12030/2/2022-OR-I/E-44834]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.